

**खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
**देहरादून**


संख्या:- 358 /स्था0 पत्रा0 /2023-24 /दे0दून/ दिनांक 08 जून, 2023

**।। स्थानान्तरण-आदेश ।।**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं शासन के पत्र दिनांक 18.04.2023 व शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में निर्गत व्यवस्था के आधार पर वर्ष 2023 में कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसके क्रम में स्थानान्तरण समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 पर अंकित वर्तमान तैनाती के स्थल/जनपद से कॉलम-04 पर अंकित जनपद में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का जनपद	स्थानान्तरण के पश्चात् नवीन तैनाती का जनपद
1	2	3	4
1	श्री दीपक रावत, उप क्रीडा अधिकारी (बैडमिन्टन)	जिला खेल कार्यालय, देहरादून	महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर के बैडमिन्टन एक्सलेन्सी सेन्टर रायपुर, देहरादून।
2	सुश्री महेशी आर्या, उप क्रीडा अधिकारी (एथलेटिक्स)	जिला खेल कार्यालय, रुद्रप्रयाग	जिला खेल कार्यालय, हरिद्वार।
3	श्री मुकेश चन्द्र शर्मा, सहायक प्रशिक्षक (एथलेटिक्स)	जिला खेल कार्यालय, चम्पावत	जिला खेल कार्यालय, उधमसिंह नगर।
4	श्री गंगा प्रसाद संतोषी, (वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)	जिला खेल कार्यालय, बागेश्वर	जिला खेल कार्यालय, टिहरी गढ़वाल।
5	श्रीमती पूनम मेहता, (प्रशासनिक अधिकारी)	जिला खेल कार्यालय, नैनीताल	जिला खेल कार्यालय, बागेश्वर।

- स्थानान्तरण अधिनियम 23(10) के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त होना अनिवार्य होगा।
- स्थानान्तरण अधिनियम 23(11) के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर कार्यमुक्त होना अनिवार्य होगा।
- स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त/10 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित कार्मिक पर विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।
- स्थानान्तरण कार्मिक के समस्त सेवा अभिलेख नई तैनात के जनपद को उपलब्ध करावते हुये उनकी कार्यमुक्ति व योगदान की सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

  
(जितेन्द्र कुमार सोनकर)  
निदेशक खेल

**संख्या एवं तिथि तदैव।**

**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

- विशेष प्रमुख सचिव खेल, उत्तराखण्ड शासन।
- जिलाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल/चम्पावत/देहरादून/रुद्रप्रयाग/हरिद्वार/उधमसिंह नगर/टिहरी गढ़वाल।
- जिला क्रीडाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल/चम्पावत/देहरादून/रुद्रप्रयाग/हरिद्वार/उधमसिंह नगर/टिहरी गढ़वाल।
- वरिष्ठ कोषधिकारी/कोषाधिकारी/बागेश्वर/नैनीताल/चम्पावत/देहरादून/रुद्रप्रयाग/हरिद्वार/उधमसिंह नगर/टिहरी गढ़वाल।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
- गार्ड फाईल।

  
निदेशक खेल